दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-1, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- न्यू इंडिया में गांधीवाद की प्रासंगिकता 5
- टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट: कार्यप्रणाली व महत्त्व 8
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन योजना 10

आर्थिक घटनाक्रम **14**

- व्यापार सुगमता हेतु आवश्यक दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड 14
- कृषि अधिनियम: संवैधानिक स्थिति 16
- अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था 18

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **21**

- आर्मीनिया-अज़रबैजान और नागोर्नो-करबख विवाद 21

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **24**

- जीन एडिटिंग: संभावनाएँ और चुनौतियाँ 24

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **27**

➢ बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी: आवश्यकता और महत्त्व 27

सामाजिक न्याय **30**

➢ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता 30

आंतरिक सुरक्षा **33**

➢ समुद्री सुरक्षा रणनीति: आवश्यकता और महत्त्व 33

➢ साइबर हमले का बढ़ता खतरा 35

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

न्यू इंडिया में गांधीवाद की प्रासंगिकता

संदर्भ

"एक देश में बांध संकुचित करो न इसको
गांधी का कर्तव्य क्षेत्र, दिक् नहीं, काल है
गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की
गांधी मानवता का अगला उद्विकास है"

महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने अपने जीवनकाल में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर ज़ोर दिया और दुनिया भर में हाशिये पर स्थित समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। न्यू इंडिया के निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका और उनका प्रभाव निर्विवाद है। वर्तमान इक्कीसवीं सदी में भी एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में गांधीजी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि वह पहले थे। गांधीजी द्वारा स्वीकृत 'सर्वधर्म समभाव' अर्थात् सभी धर्म समान है तथा 'सर्वधर्म सदभाव' अर्थात् सभी धर्मों के प्रति सद्भावना, इस वैश्विक एवं तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) के विचार को साकार करने के लिये आवश्यक है।

महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे- मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया।

महात्मा गांधी : एक सामान्य परिचय

- गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्तूबर, 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था।
- गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिये लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवद् गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।
- वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला (एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था) ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिये आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिये रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया।
- दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया।
- उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था, गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में 'नटाल इंडियन कांग्रेस' (Natal India Congress) नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में वापस भारत लौट आए।

गांधी और सत्याग्रह

- गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को 'सत्याग्रह' का नाम दिया। उनके लिये सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था।

नोट :

- गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है, उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएँ होती हैं। चंपारण और बारदोली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिये भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किये गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैये का विरोध करने हेतु किये गए थे।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया।

गांधी के धर्म संबंधी विचार

- विदित है कि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और चूँकि उनके पिता दीवान थे, इसलिये उन्हें अन्य धर्मों के लोगों से मिलने का भी काफी अवसर मिला, उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त थे। साथ ही गांधी जी अपनी युवा अवस्था में जैन धर्म से भी काफी प्रभावित थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि गांधी जी ने 'सत्याग्रह' की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत 'अहिंसा' से प्रेरणा ली थी।
- गांधी जी ने 'भगवान' को 'सत्य' के रूप में उल्लेखित किया था। उनका कहना था कि "मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ।" वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखते थे, जो भी उसमें खरा नहीं उतरता वे उसे अस्वीकार कर देते और जो उसमें खरा उतरता वे उसे स्वीकार कर लेते थे।

सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था

- गांधी यह मानते थे कि आर्थिक व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और उससे उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक मान्यताएँ राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती हैं।
- उत्पादन केंद्रित प्रणाली से केंद्रीभूत पूंजी उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था केंद्रित हो जाती है। ऐसे में गांधी के समाज की रचना विकेंद्रीकरण पर आधारित मानी जा सकती है।
- गांधी के आर्थिक-सामाजिक दर्शन में विक्रेंद्रित उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रित होना और पूंजी विकेंद्रित होने की बात कही गई है, ताकि समाज जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबी हो और उसे किसी का मुखापेक्षी न बनना पड़े।

गांधी और स्वच्छता

- गांधीजी स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे। भारत में स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है जिसे केवल एक रेल यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- देश में कई लोगों के लिये स्वच्छता एक दिवास्वप्न है और इनकी स्वच्छता में उनकी सहायता करने के लिये, सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है और 2 अक्तूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है।
- हालाँकि उनमें से कई शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं हैं या उनमें जल की सुविधा नहीं है; किन्तु यहाँ इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिये की इस प्रयास ने अभूतपूर्व जन जागरूकता का सृजन किया है।

गांधी और स्वराज

- गांधीजी ने ऐसे रामराज्य का स्वप्न देखा था, जहाँ पूर्ण सुशासन और पारदर्शिता हो। उन्होंने यंग इंडिया (19 सितंबर 1929) में लिखा, रामराज्य से मेरा मतलब हिंदू राज नहीं है। मेरे रामराज्य का अर्थ है- ईश्वर का राज्य। मेरे लिये, राम और रहीम एक ही हैं; मैं सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हो या न रहे हो, रामायण का प्राचीन आदर्श निस्संदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें एक बहुत बुरा नागरिक भी एक जटिल और महंगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय को लेकर आश्वस्त हो।
- 2 अगस्त 1934 को अमृत बाज़ार पत्रिका में उन्होंने कहा, 'मेरे सपनों की रामायण, राजा और निर्धन दोनों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करती है।' फिर 2 जनवरी 1937 को हरिजन में उन्होंने लिखा, 'मैंने रामराज्य का वर्णन किया है, जो नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है।'
- सुशासन की दिशा में सभी मंत्रालयों द्वारा सभी नियमित जानकारी और डेटा का सक्रिय प्रकाशन ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका और उत्तरदायित्व बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किये गए है।

- सरकार ने देश में आकांक्षीपूर्ण ज़िलों (Aspirational Districts) की पहचान की है और नीति आयोग 39 संकेतकों पर इनकी निगरानी करता है। इस पहल का उद्देश्य है कि इन ज़िलों को अन्य ज़िलों के बराबर या बेहतर स्थिति में लाया जाए। यह पहल गांधीजी की समाज के पिछले वर्ग के लोगो के उत्थान के प्रयासों के अनुरूप हैं।

पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- इस मुद्दे पर गांधी के विचार बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, अर्थात् न कोई पहला होगा और न आखिरी। इस बारे में उनका मानना था कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकतंत्र ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा, जो हिंसा कभी नहीं कर सकती।
- गांधी भलीभाँति जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गाँवों में बसती है। अत: जब तक गाँव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना बेमानी है।
- गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिये गाँवों को ही तैयार करने की कल्पना की गई है। गांधी का विचार था कि भारी कारखाने स्थापित करने के साथ-साथ दूसरा स्तर भी बचाए रखना ज़रूरी है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है।

गांधी और अश्पृश्यता

- गांधी अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कहीं अधिक विकराल मानते थे। इसकी वजह यह थी कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में तो उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ना था, लेकिन अस्पृश्यता से संघर्ष में उनकी लड़ाई अपनों से थी। वे कहते थे कि मेरा जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये उसी प्रकार समर्पित है, जैसे अन्य बहुत सी बातों के लिये है।
- गांधी ने अस्पृश्यता को समाज का कलंक तथा घातक रोग माना, जो न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। गांधी का कहना था कि इसी अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज पर कई संकट आए।
- वे कुछ हिंदुओं के इस तर्क से भी सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है, जिसे समाप्त करना संभव नहीं है।

सतत कृषि

- महात्मा गांधी मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मानते थे। वह आत्मनिर्भर कृषि में विश्वास करते थे। लेकिन आज हमारा कृषि क्षेत्र संकट में है। हमारे पास 70 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडार है, लेकिन कीमत इतनी अधिक है कि हम इसका निर्यात नहीं कर सकते।
- इस तथ्य के बावजूद कि हमारे देश में बहुत सारे कुपोषित लोग हैं, हम लागत बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिये बाध्य हैं। भारत में कम-से-कम 43 से 45 फीसदी कामकाजी आबादी कृषि में संलग्न है और इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 14-16% है। अत: भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता से ग्रस्त है।
- विदर्भ के अमरावती ज़िले के सुभाष पालेकर के दिमाग की उपज, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर नीति आयोग द्वारा बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने और एक स्वस्थ और समृद्ध भारत सुनिश्चित करने में सक्षम है। पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली में रासायनिक आगतों का कम-से-कम प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता

- सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिये सभी धर्मों-विचारधारों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है।
- आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी इतनी अधिक ज़रूरत कभी महसूस नहीं की गई। लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास यह है कि इतना सब होने के बावजूद कोई भी उनके सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिये तैयार नहीं है।
- गांधी जी प्रयोगधर्मी व्यक्ति माना जाता है, लेकिन यह प्रयोग केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं था; बल्कि इसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा, जिसकी कुछ लोग आज के दौर में आलोचना भी करते हैं। लेकिन उनके चिंतन और प्रयोगों में 'लोग क्या कहेंगे' जैसे शब्दों का स्थान नहीं था।

- 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्ज़र, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग (जू.), आंग सान सू की, पोलैंड के लेख वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपने इलाकों, देशों में परिवर्तन लाए।
- यह प्रमाण है इस बात का कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के ज़रिये अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई और उसमें विजय भी प्राप्त हुई।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता और करुणा तथा इन उपकरणों के सफल प्रयोगकर्त्ता के रूप में याद किये जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आज़ादी की अलख जगाई। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकलता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी याद आते हैं। अत: यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि गांधी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं तथा आने वाले समय में भी रहेंगे।

टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट: कार्यप्रणाली व महत्त्व

संदर्भ

लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिये मीडिया को ''चौथे स्तंभ'' के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्राँसीसी क्रांति के समय से जनता तक पहुँचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करें तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।

क्या हो जब मीडिया टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट (Television Rating Point-TRP) आधारित पत्रकारिता करने लगे और जनहित के मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए खबरों को सनसनीखेज़ बनाकर प्रस्तुत करे। हाल ही में मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया कि कुछ मीडिया चैनल्स TRP रैकेट का संचालन कर रहे थे। इस खुलासे ने निश्चित रूप से मीडिया की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

इस आलेख में टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट और उसकी उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से तात्पर्य

- सामान्य शब्दों में TRP यह दर्शाती है कि किस सामाजिक-आर्थिक श्रेणी से कितने लोग किसी विशेष अवधि के दौरान कितने चैनलों या प्रोग्राम को देखते हैं। यह समयावधि एक घंटे, एक दिन या एक सप्ताह के लिये भी हो सकती है। भारत एक मिनट की समयावधि के अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन करता है। TRP से संबंधित डेटा आमतौर पर प्रत्येक सप्ताह सार्वजनिक किया जाता है।
- TRP एक ऐसा उपकरण या टूल है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम या चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।
- इसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल की या किसी प्रोग्राम या मनोरंजन चैनल की कितनी प्रसिद्धि है और इसे कितने लोग पसंद करते हैं, इससे लोगों की पसंद का पता चलता है।

TRP की गणना कैसे की जाती है?

- ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (Broadcast Audience Research Council-BARC) ने पुर देश में 45,000 से अधिक घरों में बार-ओ-मीटर (BAR-O-meter) स्थापित किया है। इन घरों को न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम (New Consumer Classification System-NCCS) के तहत 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- टेलीविज़न पर किसी कार्यक्रम या चैनल को देखते समय घर के प्रत्येक सदस्य अपनी दर्शक आईडी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराते हैं। घर के प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग आईडी होती है। इस प्रकार BARC उस अवधि को रिकॉर्ड करता है जब चैनल देखा जा रहा है।

- इसके लिये BARC सैंपल के तौर पर कुछ निर्धारित शहरों, कस्बों के घरों में TRP मापने वाले 'पीपल्स मीटर' लगाए जाते हैं। सैंपल के लिये निर्धारित घरों में इस डिवाइस को टेलीविज़न के साथ लगाया जाता है। इसकी सहायता से उस टेलीविज़न सेट पर क्या देखा जा रहा है और कितनी देर तक देखा जा रहा है, ये पता किया जाता है। इसके अलावा पिक्चर मैचिंग और ऑडियो वॉटरमार्क जैसी तकनीकी भी सैंपल एकत्र करने के लिये इस्तेमाल होती हैं।
- वस्तुत: कुछ हजार घरों में लगने वाले इन उपकरणों से ही TRP तय होती है, जिसमें विशेष तौर पर दो तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। पहला यह कि चैनल/ प्रोग्राम कहाँ देखा जा रहा है और दूसरा कितने समय तक देखा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई चैनल कम टेलीविज़न सेटों पर ही ज्यादा समय तक देखा जा रहा है तो हो सकता है उसकी TRP ज्यादा टेलीविज़न सेटों पर देखे जाने वाले दूसरे चैनल से अधिक हो।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल

- यह एक औद्योगिक निकाय है, जिसका स्वामित्व विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के पास है। जिसका प्रतिनिधित्व द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइज़र्स (The Indian Society of Advertisers), इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवरटाइजिंग एजेंसीज़ एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (the Indian Broadcasting Foundation and the Advertising Agencies Association of India) द्वारा किया जाता है।
- यद्यपि इसे वर्ष 2010 में बनाया गया था, परंतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2014 को भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिये नीति दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया और इन दिशानिर्देशों के तहत जुलाई 2015 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को पंजीकृत किया गया।

TRP से चैनल की आय का संबंध

- टेलीविज़न पर किसी चैनल के कार्यक्रम को देखते समय विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं, इन्हीं विज्ञापन के जरिये टेलीविज़न के चैनल्स की आय होती है। अधिकतर टीवी चैनलों की आय का ज़रिया विज्ञापन ही होते हैं।
- विज्ञापनदाता अपनी कंपनी, उत्पाद और सर्विस का प्रमोशन करने के लिये टीवी चैनलों पर अपना विज्ञापन दिखाने के लिये करोड़ों रुपए देते हैं।
- अब जिस टीवी चैनल की TRP सबसे ज्यादा होगी, उसे सबसे ज्यादा लोग देखते होंगे। इसलिये विज्ञापनदाता सबसे ज्यादा TRP वाले चैनलों पर विज्ञापन देना पसंद करते हैं।
- इससे विज्ञापनदाता कंपनियों के विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुँचते हैं और उन्हें ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। चैनल की TRP जितनी अधिक होगी वह विज्ञापन दाताओं से विज्ञापन दिखाने के लिये उतना ही अधिक पैसे लेता है।

मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह

- मीडिया पर लोगों का काफी विश्वास है, अगर मीडिया में कोई न्यूज़ चलती है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन बदलते परिदृश्य में मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। कई बार मीडिया के संपादक या मीडिया के संचालक कुछ रुपयों की वजह से उस सूचना का या न्यूज़ का प्रसार करते हैं, जिससे उद्योगपतियों का लाभ हो। आज संपादकों का एक उद्देश्य पैसा कमाना भी है। मीडिया लाभ के बाज़ार के रूप में तब्दील हो गया है। संपादकों की नैतिकता और उनके आचरण पर सवालिया निशान लग गए हैं।
- मीडिया के कवरेज में काफी बदलाव आया है। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया व्यक्ति-केंद्रित हो चुका है। कुछ नाटकीयता और अतिरंजना के साथ कार्यक्रम परोसकर दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। सामाजिक खबरें कम दिखाई देती हैं। वहीं अखबारों में विज्ञापन ज्यादा और खबरें कम दिखाई देती हैं। मीडिया की पहुँच का विस्तार हुआ है, पर यही बात कवरेज के बारे में नहीं कही जा सकती। वह गाँवों के लोगों की समस्याओं से अछूता नज़र आता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में डिजिटल मीडिया के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विनियमन का अभाव विद्वेषपूर्ण और भ्रामक सूचनाओं की समस्या को जन्म दे रहा है। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स विज्ञापन प्राप्त करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य समझने लगे हैं। सरकार को चैनलों की रेटिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि चैनल्स अवैध साधनों का प्रयोग कर टेलीविज़न रेटिंग्स को प्रभावित न कर सकें।

नोट :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन योजना

संदर्भ:

किसी भी देश की प्रगति के साथ-साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (National Education Policy 2020) को मंज़ूरी दी गई। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षिप्त परिचय:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई।
- वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं (विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि के संदर्भ में) को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:

- NEP 2020 को पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।
- NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।
- इसके तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमश: 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) के आधार पर विभाजित किया गया है।
- NEP 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास तथा 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (Indian Sign Language- ISL) को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा ।
- इसके तहत तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात कही गई है।
- इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPSTs) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
- साथ ही इसके तहत देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERUs) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

नीतिगत सफलता का आधार:

- नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े अध्ययनों से पता चलता है कि नीतिगत विफलताओं से बचने में मज़बूत साधन, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन तंत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- किसी नीति की असफलता के लिये ब्रिटिश शोधकर्त्ताओं बॉब हडसन, डेविड हंटर और स्टीफन पेकहम ने निम्न चार प्रमुख कारकों को उत्तरदायी बताया है।
    - अत्यधिक आशावादी अपेक्षाएँ
    - बिखरी हुई शासन व्यवस्था में कार्यान्वयन
    - नीति निर्धारण में अपर्याप्त सहयोग
    - राजनीतिक चक्र की अनियमितता
- विशेषज्ञों के अनुसार, किसी नीति की असफलता के ये चार खतरे इतने व्यापक हैं कि सामान्य प्रक्रिया से इसे हल करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- यदि सरकार किसी नीति को लागू करने के बारे में गंभीर है तो इसके लिये एक मज़बूत नीति समर्थन कार्यक्रम को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है।
- किसी भी नीति की सफलता के लिये उसके कार्यान्वयन की प्रणाली और इस दौरान प्रत्येक बिंदु पर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में एक बेहतर समझ का होना बहुत ही आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल हैं।
- इस नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, हालाँकि इन बदलावों को लागू करने के लिये संसाधनों (धन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति आदि) का प्रबंध एक बड़ी चुनौती होगी।
- NEP 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है ऐसे में इतने अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये बहुत से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।
- वर्तमान में शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामले में देश के अलग-अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर है, गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index) में देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया है, ऐसे में छात्रों के लिये इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन होगा।

समाधान:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु पाँच बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

1. उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्य बल की स्थापना:

- प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु बौद्धिक और सामाजिक पूंजी के निर्माण का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
- NEP के सफल कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिये एक विशेष कार्य बल (Task Force) की स्थापना की जानी चाहिये।
- प्रधानमंत्री का यह कार्य बल एक सलाहकारी निकाय हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions- HEIs) के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- यह कार्य बल NEP के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और एक निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करेगा।

नोट :

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति:

- NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन एवं इसकी निगरानी हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
- इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुलपति/निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे।
- इस समिति को समयबद्ध तरीके से NEP की कार्यान्वयन योजना को तैयार करने और इसकी निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- समिति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ इसमें विषयगत उप-समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी शामिल किया जाएगा।
- यह समिति उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा NEP 2020 को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद:

- इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे तथा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- यह परिषद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NEP के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत तंत्र होगा।
- साथ ही यह NEP के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं के निवारण के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

4. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सुधार:

- प्रधानमंत्री द्वारा 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' (Institutions of Eminence- IoE) की अवधारणा के तहत देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का दृष्टिकोण पेश किया गया था।
- वर्ष 2016 के बजटीय भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी देश के 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान के रूप में विकसित करने के लिये आवश्यक नियमकीय बदलाव की बात कही थी, जिसके बाद देश में IoEs की स्थापना शुरू हुई।
- वर्तमान में IoE के दृष्टिकोण को NEP कार्यान्वयन योजना के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है और IoEs को अधिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता देने के साथ संसाधनों के मामले में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

5. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद:

- वर्तमान में देश के 70% उच्च शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के हैं और 70% से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिये निजी संस्थानों में प्रवेश करते हैं।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहुँच के विस्तार में निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है।
- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन की वित्तीय चुनौतियों और छात्रों के समक्ष आने वाली शुल्क संबंधी चुनौतियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।
- यह परिषद संभावित दाताओं को तीन बंदोबस्ती निधियों (उच्च शिक्षा अवसंरचना, छात्रवृत्ति और शोध अनुदान से संबंधित) की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली में मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है।

अन्य चुनौतियाँ:

- वर्ष 1968 में जारी की गई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अगली सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया परंतु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो सरकार की नीतिगत असफलता और कमज़ोर राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
- COVID-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच राज्यों के लिये इन सुधारों को लागू करने के लिये आवश्यक धन एकत्र करना बहुत ही कठिन होगा।

नोट :

आगे की राह:

- सरकार के लिये किसी भी नीति के कार्यान्वयन में सफलता हेतु प्रोत्साहन, साधन, सूचना, अनुकूलनशीलता, विश्वसनीयता और प्रबंधन जैसे तत्त्वों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है।
- NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिये सरकार को पारदर्शी कार्यप्रणाली और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ानी होगी तथा प्रबंधन के प्रभावी सिद्धांतों को विकसित करना होगा।
- साथ ही सरकार को कानूनी, नीतिगत, नियामकीय और संस्थागत सुधारों को अपनाने के साथ एक विश्वसनीय सूचना तंत्र का निर्माण और नियामक संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अनुकूलनशीलता के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

व्यापार सुगमता हेतु आवश्यक दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) को प्रमुख विधायी सुधारों में से एक के रूप में उल्लिखित किया है, जो उच्च विकास प्रक्षेपवक्र में भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग में लाने के लिये अनुकूल माहौल प्रदान करेगा। वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण सुधारों के साथ दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाकर इसे 'मेक फॉर वर्ल्ड' प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित कर रहा है।

वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 74.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि में इन सुधारों का महत्त्वपूर्ण योगदान था।

क्या है दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड ?

- केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया।
- दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड- 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code-2016) आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिये लाया गया है।
- इसके प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्देशों हेतु आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये लागू किया गया है।

कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (IBC), 2016 लाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका था। इन चिंताओं को दूर करने के लिये यह कानून बनाया गया और इसे लागू करके इसके तहत कार्रवाई भी की गई।
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920' को रद्द करती है तथा कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईज़ेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करती है।
- इस कोड ने देश में कर्ज़ दाताओं और कर्ज लेने वालों के संबंधों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है। अब देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्ज़दार, जिन्हें यह डर होता है कि वे रेड लाइन के करीब पहुँचने वाले हैं और जल्दी ही वे NCLT में होंगे, अब दिवालिया घोषित होने से परहेज कर रहे हैं।
- इस कोड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कुछ निश्चित शर्तों और नियमों द्वारा संचालित है। कुछ मामलों में अपीलों और उसके विरोध में अपीलों तथा मुकदमेबाज़ी के कारण कई बार यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह बाधा दूर हो गई है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण सीमित अवधि के निलंबन के बावजूद दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड दीर्घावधि में समुचित सुधार साबित होगा।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति समस्या के समाधान में सहायक

- जब कोई देनदार बैंक को अपनी देनदारियाँ चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके द्वारा लिया गया कर्ज़ गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (NPA) कहलाता है।
- नियमों के तहत जब किसी कर्ज़ का मूलधन या ब्याज़ तय अवधि के 90 दिन के भीतर नहीं चुकाया जाता है तो उसे NPA में डाल दिया जाता है।
- कई बार कर्ज़दार दिवालिया हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परिसंपत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

नोट :

- IBC के अनुसार, किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- IBC के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत कर्ज़दाता सहमत हों तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, जो अपना कर्ज़ नहीं चुका पा रही।
- IBC के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- कर्ज़ न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चित समयावधि में कर्ज़ चुकता कर दे या स्वयं को दिवालिया घोषित करे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये है लाभदायक

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यम बड़े नियोक्ता के रूप में कृषि क्षेत्र के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास के मामले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महत्ता को समझते हुए सरकार ने इस कोड के अंतर्गत विशेष छूट प्रदान की हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रवर्तकों को अपनी कंपनियों के लिये बोली लगाने की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक वे विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होते हैं और किसी अन्य संबंधित अयोग्यता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसने मौजूदा एक्ट की धारा 29 (ए) में विसंगति को ठीक किया है जिसने संपत्ति को डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर्स को अपनी एसेट्स के लिये बोली लगाने से रोक दिया था।
- दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड ने व्यापार करने के लिये अनुकूल माहौल का सृजन किया है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता प्रदान करते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान की है।
- इस प्रकार के प्रोत्साहन निश्चित रूप से विदेशी और घरेलू निवेशकों दोनों में अधिक विश्वास पैदा करेंगी क्योंकि भारत अब एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

निर्णय जिनसे प्रभावोत्पादकता में वृद्धि हुई

- IBC खराब ऋणों को वसूलने के लिये बनाए गए पूर्व के दो अधिनियमों पर बहुत बड़ा सुधार है- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (Sick Industrial Companies (Special Provision-SICA) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली संबंधी अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act- RDDB)।
- IBC से पूर्व रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस में औसतन 4-6 वर्ष लगते थे, IBC के अधिनियमित होने के बाद रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस औसतन 317 दिनों तक आ गए।
- IBC के बाद ऋणों की वसूली भी पूर्व की अपेक्षा (22 प्रतिशत के सापेक्ष 43 प्रतिशत) अधिक रही है।
- IBC के बाद यह देखा गया कि कई व्यापारिक संस्थाएँ दिवालिया होने की घोषणा करने से पहले भुगतान कर रही हैं। अधिनियम की सफलता इस तथ्य में निहित है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भेजे जाने से पहले ही कई मामलों को सुलझा लिया गया है।

आगे की राह

- देश के विभिन्न हिस्सों में अधिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि IBC से सम्बंधित मुद्दों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।
- IBC को इस बात पर विचार करना चाहिये कि मौजूदा प्रबंधन को ज्ञान, सूचना और विशेषज्ञता आधारित कंपनी को चलाने की अनुमति देने के अलग-अलग फायदे हैं।
- भारत NPA की वसूली से अधिक चिंतित है, इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली को बचाना पहली प्राथमिकता है।

नोट :

कृषि अधिनियम: संवैधानिक स्थिति

संदर्भ

संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों ने पूरे देश में संवैधानिक वैधता पर बहस छेड़ दी है। ये अधिनियम 'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 हैं।

इन अधिनियमों की उपयोगिता बताते हुए सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय़ बढ़ाने में मदद करेंगे, पहले किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। देश भर के किसान संगठन, मंडी समितियों से जुड़े लोग इन अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इन अधिनियमों के जरिये सरकार कृषि में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो किसानों की परेशानियों को और बढ़ाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। कई राज्यों ने कृषि अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न खड़े किये तथा कई राज्य इन अधिनियमों की वैधता को चुनौती देने के लिये कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।

इस आलेख में कृषि अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को समझने से पूर्व क्रमश: तीनों कृषि अधिनियमों के प्रावधानों, उनके लाभ तथा चुनौतियों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 [The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020]:

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसानों के लिये अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) वाले बाज़ार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे।
- किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न APMC विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएँ बनी हुई थी।

लाभ

- इस अधिनियम के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी जहाँ किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिये अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- यह अधिनियम राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाज़ारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है।
- इस अधिनियम के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा।
- इस अधिनियम में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिये एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।

चुनौतियाँ

- इस अधिनियम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसमे किसानों को स्थानीय बाज़ार में अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने से कोई खरीददार नहीं मिलता है।
- चूंकि, अधिकांश किसान छोटे अथवा सीमांत कृषि-भूमि के मालिक होते हैं, और इनके पास अपनी उपज को दूर के बाज़ारों में बेचने हेतु परिवहन के साधन नहीं होते है।

- अत:, इन किसानों को अपनी उपज स्थानीय बाज़ार में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020

पृष्ठभूमि

- भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाज़ार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमज़ोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है।

लाभ

- यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।
- इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

- पहली चिंता का कारण अनुबंध कृषि में किसानों तथा कार्पोरेट्स के मध्य समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें एक किसान अपनी पैदावार के लिये उचित मूल्य तय करने में कॉर्पोरेट अथवा बड़े व्यावसायिक प्रायोजकों के साथ समझौता करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होता है।
- दूसरे अधिनियम में कहा गया है कि गुणवत्ता मानकों को समझौते में दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है। लेकिन, कॉरपोरेट्स के द्वारा उपज की गुणवत्ता के संदर्भ में एकरूपता मामलों को शामिल करने पर, गुणवत्ता पहलू काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि, देश में कृषि-पारिस्थितिक विविधता में असमानता होने कारण गुणवत्ता में एकरूपता संभव नहीं होगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

पृष्ठभूमि

- इस संशोधन के अंतर्गत अकाल, युद्ध, आदि जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण कीमतों में अत्याधिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, भंडारण तथा कीमतों को नियंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

लाभ

- इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिये बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिये भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा।
- इस संशोधन से कृषि क्षेत्र की समग्र आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मज़बूती मिलेगी। इस संशोधन के माध्यम से इस कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर किसान की आय दोगुनी करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ

- इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उपजों की मूल्य सीमा में उतार-चढ़ाव काफी विषम है (बागवानी उपजों की खुदरा कीमतों में 100% की वृद्धि तथा शीघ्र खराब नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में 50% की वृद्धि)।
- इसके तहत किसी कृषि उपज के मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) प्रतिभागी की स्थापित क्षमता स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी।
- निर्यातक, वस्तुओं की मांग दिखाने पर, स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेंगे।

नोट :

कृषि से संबंधित विषय की संवैधानिक स्थिति

- संविधान में कृषि को राज्य सूची (सूची II) के विषय के रूप में संदर्भित किया गया है। कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 14 में सूचीबद्ध किया गया है।
- राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 'राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य' को संदर्भित करता है। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 27 'माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण' को संदर्भित करती है तो वहीं प्रविष्टि 28 'बाज़ार और मंडियों' को संदर्भित करती है।

केंद्र के पास कृषि से संबंधित कानून बनाने का आधार

- केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 और 27 को समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन सूचीबद्ध किया गया है।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि-33 जहाँ एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि-व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है।
- केंद्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिये आवश्यक समझती है, राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आगे की राह

- वर्तमान में भी देश में किसानों की एक बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, ऐसे में सरकार को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।
- संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-14 के तहत कृषि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है , अत: केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को चोट पहुँचा सकता है, अत: केंद्र को इस प्रकार के कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण की माँग में वृद्धि करते हुए उसे नए स्तर पर पहुँचा दिया है। वर्ष 2019 के अंत की तुलना में वर्ष 2021 तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत और निम्न-आय वाले देशों में लगभग 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। ऋण की माँग में इस प्रकार की वृद्धि अपने सर्वोच्च स्तर पर है जो कि पूर्व में ही ऐतिहासिक रूप से अधिक थी। वस्तुत: कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी ऋण लेने की क्षमता है, उभरते बाजारों और कम आय वाले देशों को उनकी क्षमता पर अतिरिक्त ऋण लेने की स्थिति में कठोर नियमों का सामना करना पड़ता है।

दरअसल कम आय वाले देशों और कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ पहले से ही ऋण संकट के उच्च जोखिम में थी और महामारी के बाद ऋण की मांग में हुई वृद्धि चिंताजनक है। कई देश वैश्विक महामारी के प्रभावों से उबरने के लिये अतिरिक्त ऋण ले रहे हैं, जिससे इन देशों के ऋण जाल (Debt Trap) में फँसने की संभावना है। ऐसे में ऋण प्रबंधन हेतु कई संरचनात्मक सुधारों की अपेक्षा की जा रही है।

विकासशील एवं निम्न आय वाले देशों की स्थिति

- विकासशील और निम्न आय वाले देशों की आबादी कुल वैश्विक आबादी की 70 प्रतिशत है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनकी हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत है। COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक गरीबी अपने पाँव पसार रही है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, यह महामारी भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में करीब दोगुनी वृद्धि (26.5 करोड़) कर सकती है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) की नीतिगत रिपोर्ट के अनुसार इस वैश्विक आर्थिक संकट के चलते वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वाह्य निजी वित्तपोषण 700 अरब यूएस डॉलर तक सिकुड़ सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) के अनुसार, विकासशील देशों को अपनी आबादी को आर्थिक सहायता और सुविधा के मामले में महामारी और इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिये तुरंत 2.5 खरब (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development–UNCTAD) के महासचिव मुखिसा कित्युई (Mukhisa Kituyi) के अनुसार, विकासशील देशों पर कर्ज का भुगतान बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें कोविड-19 के साथ काफी आर्थिक झटके लगें हैं ऐसे में इस बढ़ते वित्तीय दबाव को दूर करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत और कदम उठाने चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- IMF वर्ष 1945 में अस्तित्व में आया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

भारत की स्थिति

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चालू वर्ष में वैश्विक सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत का स्तर पार कर जाएगा। वर्ष 2019 में यह स्तर 83 प्रतिशत था। जीडीपी वृद्धि में गिरावट के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात कम से कम चार फीसदी बढ़ेगा। परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 तक कुल ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य कम से कम सात वर्ष पीछे चला गया।
- महामारी के कारण बजट घाटे में वृद्धि समझा जा सकता है लेकिन चिंता की बात यह है कि देश का सार्वजनिक ऋण भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 के जीडीपी के 67 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 72 प्रतिशत तक आया था।
- ऋण में वृद्धि का अर्थ यह है कि आने वाले वर्षों में सरकार को इससे निपटने के लिये और अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी।

किन क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है?

- ऋण सेवा निलंबन पहल (The Debt Service Suspension Initiative): सर्वप्रथम वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऋण सेवा निलंबन पहल को वर्ष 2021 तक बढ़ाया जाना चाहिये ताकि अनिश्चित ऋण समस्याओं से निपटने के लिये प्रोत्साहन मिल सके। ऋण सेवा निलंबन पहल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को भी शामिल करना चाहिये जिससे ऋण सुभेद्यताओं को कम किया जा सके।
- ऋण सुभेद्य देशों का पुनर्गठन: ऋण सुभेद्य देशों में ऋण प्रबंधन और विकास को बहाल करने के उपायों के संयोजन के माध्यम से तत्काल प्रयास करना होगा । जिन देशों में ऋण प्रबंधन की व्यवस्था अस्थिर है उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिये। ऋण प्रबंधन के लिये निजी क्षेत्र के दावों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- ऋण का मुद्रीकरण: सभी देशों की सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण का मुद्रीकरण करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से व्यय और वृद्धि की लागत कम करने में मदद मिलेगी। चूंकि माँग में कमी है इसलिये इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी।

ऋण संरचना में सुधार हेतु प्रयास

- सर्वप्रथम देनदार और लेनदारों के आर्थिक व्यवधानों को कम करने में मदद करने के लिये संविदात्मक प्रावधानों को मज़बूत करना चाहिये। IMF और अन्य संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड में सामूहिक कलेक्शन एक्शन क्लॉज को अपनाने हेतु बढ़ावा दिया है। बिना आनुषंगिक (without Collateral) वाले ऋण के क्रमबद्ध पुनर्गठन की सुविधा के लिये भी इसी तरह के प्रावधानों की आवश्यकता है।
- ऋण पारदर्शिता में वृद्धि दूसरा प्रमुख सुधार है। लेनदार ऋण संरचना के पुनर्गठन में तभी प्रतिभाग करेंगे जब उन्हें शेष लेनदारों को दिये गए ऋण की सभी शर्तें ज्ञात होंगी।

नोट :

- तीसरे सुधार के अंतर्गत आवश्यक है कि आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों को द्विपक्षीय ऋण के पुनर्गठन के लिये एक आम दृष्टिकोण पर सहमत होना चाहिये। यह पुनर्गठन पेरिस क्लब के सदस्यों और अन्य लोगों के लिये स्वीकार्य होना चाहिये । पुनर्गठन में सामान्य शर्त दस्तावेज़ शामिल हो सकता है जिसके लिये देनदार को अपने ऋणों को पारदर्शी रूप से रखना और उसके सभी लेनदारों (सरकारी और निजी) से तुलनीय शर्तों पर पुनर्गठन समझौते की आवश्यकता होती है। इस तरह के दृष्टिकोण से सभी लेनदारों के बीच सूचना साझाकरण सुनिश्चित करना होगा। ऐसा करने से यह संभव होगा कि भागीदारी बढ़े और अनावश्यक देरी से भी बचाव हो।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका

- IMF ऋण संकट को दूर करने के लिये कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने सदस्यों देशों को नीति सलाह, वित्तपोषण और क्षमता विकास के साथ वित्तीय समर्थन भी दे रहा है।
- IMF बैंकिंग क्षेत्र में ऋण आवंटन की दक्षता में सुधार करने एवं शासन संबंधी सुधारों द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिये लगातार कार्य कर रहा है।
- IMF एक मज़बूत ऋण सीमा नीति के माध्यम से ऋण पारदर्शिता को भी बढ़ावा दे रहा है। कार्यकारी निकाय के अनुसार, वे ऋण प्रबंधन पर तकनीकी सहायता प्रदान करना और ऋण सेवा निलंबन पहल का विस्तार करने के लिये G20 के साथ काम कर रहे हैं।
- IMF ऋण स्थिरता को बहाल करने के लिये देनदार-लेनदार समन्वय और कार्यों के विश्लेषण के माध्यम से ऋण पुनर्गठन का समर्थन कर रहा है और उच्च लेनदार भागीदारी पर वित्तीय समर्थन भी प्रदान कर रहा है।

निष्कर्ष

इस तरह की राहत भले ही तात्कालिक रूप से मदद कर सकती हैं, परंतु यह विकासशील देशों को महामारी से लड़ने के लिये ऋण लेने में मदद नहीं करेगी। इस तरह उन्हें शिक्षा और अन्य टीका कार्यक्रमों जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्र के खर्चों से वित्तीय संसाधनों को हटाने के लिये मजबूर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत अन्य वितीय संस्थानों को विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिये एकीकृत अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

आर्मीनिया-अज़रबैजान और नागोर्नो-करबख विवाद

संदर्भ:

हाल ही में दो पूर्व सोवियत देशों आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच वर्षों से विवादित रहे नागोर्नो-करबख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र में पुन: संघर्ष शुरू हो गया है। हालाँकि पिछले लगभग तीन दशकों में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और जातीय विवाद कई बार हिंसक हो उठा है परंतु वर्तमान में इस संघर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के शामिल होने की आशंका के कारण इसे क्षेत्र की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता के लिये एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

नागोर्नो-करबख क्षेत्र:

- नागोर्नो-करबख क्षेत्र काकेशस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग और आर्मीनियाई पर्वतीय मैदान के पूर्वी भाग के बीच स्थित है।
- नागोर्नो-करबख क्षेत्र एक समय में आर्मीनियाई साम्राज्य का एक हिस्सा था, परंतु अपने लंबे इतिहास के दौरान यह दक्षिण काकेशस (South Caucasus) में आए कई साम्राज्यों (रोमन, फारसियों, ऑटोमन, रूसी और सोवियत संघ) का साक्षी रहा है।
- वर्तमान में यह क्षेत्र अज़रबैजान की सीमा के अंतर्गत आता है परंतु इसकी अधिकांश आबादी आर्मीनियाई मूल के लोगों की है, जो इस क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है।

पृष्ठभूमि:

- नागोर्नो-करबख क्षेत्र के हालिया संघर्ष की जड़ों को उस समय से जोड़कर देखा जा सकता है जब ट्रांसकाकेशिया (या दक्षिण काकेशस) रूसी साम्राज्य का हिस्सा था।
- रूसी ज़ारशाही के दौरान 19वीं सदी की शुरुआत में रूसी-फारसी युद्धों के बाद रूस ने फारसी साम्राज्य से इस क्षेत्र को अपने कब्ज़े में ले लिया।
- वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के बाद दक्षिण काकेशस पर रूस का प्रभाव कमज़ोर पड़ता गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में 'ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक' (Transcaucasia Democratic Federal Republic) की स्थापना की गई और करबख इस गणराज्य का एक हिस्सा बन गया।
- हालाँकि यह महासंघ अपने ही अंतर्विरोधों के कारण ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, वर्ष 1921 में आर्मीनिया और अज़रबैजान सोवियत गणराज्य का हिस्सा बन गए।
- इस दौरान सोवियत नेताओं ने 90% से अधिक आर्मीनियाईआबादी वाले स्वायत्त नागोर्नो-करबख प्रांत को अज़रबैजान को देने का निर्णय लिया।
    - विशेषज्ञों के अनुसार, चूँकि अज़रबैजान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य का एक क्षेत्रीय सहयोगी था, अत: स्टालिन नागोर्नो-करबख को आर्मीनिया में मिलाकर तुर्की को दक्षिण काकेशस में जातीय तनाव का फायदा उठाने का एक और अवसर नहीं देना चाहता था।
- जब तक सोवियत संघ मज़बूत रहा, तब तक यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। लेकिन वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में सोवियत संघ के कमज़ोर पड़ने के साथ ही इस क्षेत्र में पुन: जातीय संघर्ष शुरू हो गया।
- वर्ष 1988 में नागोर्नो-करबख की क्षेत्रीय विधानसभा ने अपनी स्वायत्तता को समाप्त करने और आर्मीनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया। अज़रबैजान द्वारा इस कदम का विरोध किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में भारी हिंसक झड़पें हुईं।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नागोर्नो-करबख द्वारा स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, जिसके बाद अज़रबैजान और नागोर्नो-करबख विद्रोहियों (आर्मीनिया समर्थित) के बीच वर्षों तक युद्ध चलता रहा।

- युद्ध विराम: वर्ष 1994 में रूस की मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा की गई, इस समझौते के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्राँस की सह-अध्यक्षता वाले 'यूरोपीय रक्षा एवं सहयोग संगठन' (Organization for Security and Co-operation in Europe- OSCE) द्वारा आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच इस संघर्ष को सुलझाने के लिये व्यापक प्रयास किये गए हैं।
- इस समझौते के बाद भी नागोर्नो-करबख का क्षेत्र अज़रबैजान का हिस्सा बना रहा। लेकिन तबसे इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा एक अलगाववादी, स्व-घोषित गणराज्य द्वारा शासित है, जिसका संचालन आर्मीनिया समर्थित सरकार द्वारा किया जाता है।
- हालाँकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर नागोर्नो-करबख को एक स्वतंत्र राष्ट्र या आर्मीनिया के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि अज़रबैजान के एक भू-भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

हालिया घटनाक्रम:

- नागोर्नो-करबख के विवाद को लेकर 27 सितंबर को आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच पुन: संघर्ष शुरू हो गया।
- इस दौरान तुर्की के समर्थन से अज़रबैजान ने आर्मीनिया पर हमले तेज़ कर दिये और दोनों पक्षों के बीच हुई गोलाबारी में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई।
- 10 अक्तूबर को रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच एक बार पुन: युद्धविराम की घोषणा की गई, हालाँकि यह युद्धविराम बहुत देर तक नहीं चल सका और दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया।

क्षेत्र का रणनीतिक महत्त्व:

- ऊर्जा संपन्न अज़रबैजान द्वारा पूरे काकेशस क्षेत्र (काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र) में तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस और तेल पाइपलाइनों की स्थापना की गई है।
  - इसके तहत 'बाकू-तबलिसी-सेहान तेल पाइपलाइन' (प्रतिदिन 1.2 बिलियन बैरल तेल परिवहन की क्षमता), पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन, ट्रांस-अनातोलियन गैस पाइपलाइन और दक्षिण काकेशस गैस पाइपलाइन शामिल हैं।
- इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक (सीमा के 16 किमी) से गुज़रती हैं।
- दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में इन पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा।

बाहरी हस्तक्षेप की चुनौतियाँ:

- बाहरी हस्तक्षेप का भय आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच हालिया संघर्ष को और अधिक खतरनाक बनाता है।

तुर्की:

- तुर्की ने आर्मीनिया को क्षेत्र की शांति के लिये खतरा बताया है, गौरतलब है कि तुर्की और अज़रबैजान जातीय व भाषाई संबंधों को साझा करते हैं। इसके साथ ही अज़रबैजान प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का एक सहयोगी रहा था।
- गौरतलब है कि वर्ष 1991 में अज़रबैजान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला तुर्की सबसे पहला देश था।
- हाल के वर्षों में राष्ट्रपति 'रेसेप तईप एर्दोगन' के नेतृत्त्व में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती हिस्सों और मुस्लिम देशों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ का विस्तार करने के प्रयास पर विशेष ध्यान दे रहा है।
- ऐसे में नागोर्नो-करबख का संघर्ष तुर्की को दक्षिण काकेशस में प्रवेश करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

रूस:

- रूस के लिये काकेशस और मध्य एशिया का क्षेत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, हालाँकि नागोर्नो-करबख का वर्तमान संघर्ष रूस के लिये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।
- आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों के साथ रूस के अच्छे संबंध हैं तथा रूस दोनों को ही हथियारों की आपूर्ति करता है।
- हालाँकि अज़रबैजान की अपेक्षा आर्मीनिया रूस पर अधिक निर्भर है, साथ ही आर्मीनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा (Military Base) भी है।

- आर्मीनिया, रूस के नेतृत्व वाले 'सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन' (Collective Security Treaty Organization-CSTO) का सदस्य है।
- इस संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में आर्मीनिया CSTO के अनुच्छेद-4 का प्रयोग करते हुए रूस की सहायता की मांग कर सकता है।
- यदि रूस इस युद्ध में आर्मीनिया की सहायता की सहमति देता है तो यह रूस को इस संघर्ष में पहले से शामिल तुर्की के सामने लाकर खड़ा करेगा।
  - गौरतलब है कि तुर्की, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का एक सदस्य है, ऐसे में यह स्थिति अत्यंत जटिल हो सकती है।

अन्य देश:

- तुर्की और रूस के अतिरिक्त अमेरिका, यूरोप और ईरान भी इस क्षेत्र में अपने सामरिक, सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा में लगे हुए हैं।
- यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिये इस क्षेत्र की स्थिरता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- यूरोप और अमेरिका के साथ विश्व के अधिकांश देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों को बढ़ावा दिये जाने पर ज़ोर दिया है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत के पास 'पड़ोस प्रथम की नीति' (Neighbourhood First Policy) या एक्ट ईस्ट (Act East) की तरह दक्षिण काकेशस के लिये कोई विशेष सार्वजनिक नीति नहीं है।
- साथ ही क्षेत्र के देशों (आर्मीनिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान आदि) के साथ भारत के संबंधों में भारी विषमता दिखाई देती है।
- भारत द्वारा आर्मीनिया के साथ वर्ष 1995 में एक 'मित्रता और सहयोग संधि' पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसका अर्थ है कि यदि नागोर्नो-करबख से अज़रबैजान का हमला बढ़ते हुए आर्मीनिया के क्षेत्र तक पहुँचता है, तो उस स्थिति में यह संधि भारत को अज़रबैजान के लिये सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है।
- अज़रबैजान में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Limited) द्वारा एक तेल क्षेत्र की परियोजना में निवेश किया गया है और गेल (GAIL) द्वारा एलएनजी (LNG) के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। '
- अज़रबैजान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के मार्ग में स्थित एक महत्त्वपूर्ण देश है। गौरतलब है कि INSTC भारत को मध्य एशिया से होते हुए रूस से जोड़ता है, साथ ही यह भारत को 'बाकू-तिबलिस-कार्स यात्री और माल रेल लिंक' (Baku-Tbilisi-Kars Passenger and Freight Rail Link) के माध्यम से तुर्की और इससे आगे के क्षेत्रों से भी जोड़ता है।
- आर्मीनिया ने कश्मीर मुद्दे पर खुलकर भारत का समर्थन किया है, जबकि अज़रबैजान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है।
- भारत द्वारा लंबे समय से राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर दिया गया है।

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में रूस पहले ही सीरिया, यूक्रेन और लीबिया जैसे देशों के सैन्य संघर्षों में शामिल रहा है, ऐसे में वह वर्तमान परिस्थिति में एक और मोर्चा खोलने का इच्छुक नहीं होगा। इसीलिये रूस अब तक संघर्ष विराम के लिये मध्यस्थता पर ज़ोर देता रहा है, परंतु यदि यह संघर्ष आर्मीनिया की सीमा तक पहुँचता है तो रूस निश्चय ही एक पक्ष का साथ देने के लिये विवश होगा।
- वर्तमान में नागोर्नो-करबख विवाद पर भारत द्वारा किसी एक पक्ष का समर्थन न करते हुए राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की मांग एक सकारात्मक कदम है।
- पूर्व में नागोर्नो-करबख में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा के मामले देखने को मिले हैं, ऐसे में एक क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम उठाए बगैर अज़रबैजान, आर्मीनिया और करबख विद्रोहियों को संघर्ष विराम लागू करते हुये भविष्य में क्षेत्र की शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये राजनयिक वार्ताओं को शुरू करने हेतु साझा पहल को बढ़ावा देना चाहिये।
- COVID-19 महामारी के बीच इस क्षेत्र की अस्थिरता एक बड़ी मानवीय त्रासदी का कारण बन सकती है, ऐसे में इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जीन एडिटिंग: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में वर्ष 2020 के लिये नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष ऐतिहासिक रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्राँस की इमैनुएल चार्पेंटियर (Emmanuelle Charpentier) और अमेरिका की जेनिफर ए डौडना (Jennifer A Doudna) को प्रदान किया गया है। चार्पेंटियर एवं डौडना द्वारा विकसित 'क्रिस्पर-कैस9 जेनेटिक सीज़र्स' (CRISPR-Cas9 Genetic Scissors) का उपयोग जानवरों, पौधों एवं सूक्ष्मजीवों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिये किया जा सकता है। यह तकनीकी न केवल नए कैंसर उपचार में योगदान कर रही है बल्कि आनुवंशिक बीमारियों के निदान का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। 'नोबेल ज्यूरी' ने इसे मानव जाति के लिये एक क्रांतिकारी आविष्कार बताया है। हालाँकि उन्होंने इसे सावधानी से प्रयोग करने की सलाह भी दी।

इस आलेख में जीन एडिटिंग, इसके अनुप्रयोग, जीन एडिटिंग से संभावनाएँ और इससे संबंधित नैतिक चिंताओं पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

जीन एडिटिंग से तात्पर्य

- जीन एडिटिंग (जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है) प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। ये प्रौद्योगिकियाँ जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती हैं।
- जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में फेरबदल करने में किया जा सकता है।

CRISPR Cas - 9 क्या है?

- CRISPR Cas-9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।
- CRISPR तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों (विशिष्ट हिस्सों) या विशेष स्थान पर DNA की एडिटिंग की जा सकती है।
- CRISPR-CAS9 तकनीक आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले DNA के सिरा (Strands) या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने (Cut and Paste) की क्रियाविधि की भाँति कार्य करती है।
- DNA सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिट करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है।
- इसके पश्चात् CAS-9 के प्रयोग से (CAS-9 कैंची की तरह कार्य करता है) उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि DNA सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण, मरम्मत की प्रवृति होती है।
- वैज्ञानिकों द्वारा स्वत: मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है, जो अंतत: टूटे हुए DNA सिरा पर स्थापित हो जाता है।

जीन एडिटिंग के अनुप्रयोग

- वैज्ञानिक अनुसंधान में पहले से ही व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, क्रिस्पर-कैस 9 को HIV, कैंसर या सिकल सेल रोग जैसी बीमारियों के लिये संभावित जीनोम एडिटिंग उपचार हेतु एक आशाजनक तरीके के रूप में भी देखा गया है।
- इस तरह इसके माध्यम से चिकित्सकीय रूप से बीमारी पैदा करने वाले जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है या आनुवंशिक उत्परिवर्तन को सही कर सकते हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग जेनेटिक हेरफेर के लिये एक टूलबॉक्स प्रदान करती है।
- उल्लेखनीय है कि CRISPR तकनीकी पहले से ही मौलिक बीमारी अनुसंधान, दवा जाँच और थेरेपी विकास, तेज़ी से निदान, इन-विवो एडिटिंग (In Vivo Editing) और ज़रूरी स्थितियों में सुधार के लिये बेहतर आनुवंशिक मॉडल प्रदान कर रही है।
- वैज्ञानिक इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि CRISPR तकनीकी का उपयोग शरीर की टी-कोशिकाओं (T-Cells) के कार्य को बढ़ावा देने में किया जा सके ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर को पहचानने और नष्ट करने में बेहतर हो तथा रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार और अन्य संभावित बीमारियों को लक्षित किया जा सके।
- कैलिफोर्निया में विश्व के पहले जीन-एडिटिंग परीक्षण में HIV के लगभग 80 रोगियों के खून से HIV प्रतिरक्षा कोशिकाओं को ज़िंक-फाइबर न्यूक्लियस (Zinc-finger Nucleases-ZFNs) नामक एक अलग तकनीक का प्रयोग कर हटाया गया। चीन में शोधकर्त्ताओं ने मानव भ्रूण के एक दोषपूर्ण जीन को सही करने की कोशिश के लिये संपादित किया जो रक्त विकार का कारण बनता है।
- वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने मलेरिया को दूर करने के लिये भी जीन एडिटिंग का उपयोग किया था जिससे मलेरिया का प्रतिरोध किया जा सकता है। किसानों द्वारा भी फसलों को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिये क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सकीय क्षेत्र में, जीन एडिटिंग संभावित आनुवंशिक बीमारियों का इलाज कर सकती है, जैसे हृदय-रोग और कैंसर के कुछ रूप या एक दुर्लभ विकार जो दृष्टिबाधा या अंधेपन का कारण बन सकता है।
- कृषि क्षेत्र में यह तकनीक उन पौधों को पैदा कर सकती है जो न केवल उच्च पैदावार में कारगर होंगे, जैसे कि लिप्पमैन के टमाटर, बल्कि यह सूखे और कीटों से बचाव के लिये फसलों में विभिन्न परिवर्तन कर सकते हैं ताकि आने वाले वर्षों में चरम मौसमी बदलावों में भी फसलों को हानि से बचाया जा सके।

जीन एडिटिंग के सकारात्मक प्रभाव

- जीन एडिटिंग तकनीकी के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था में ही बच्चे के जीनोम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार वंशानुगत रोगों को संक्रमण से रोका जा सकता है। इससे बच्चे आनुवंशिक रोगों से मुक्त होंगे।
- इस तकनीकी का प्रयोग कर भविष्य में ऐसे बच्चे डिज़ाइन किये जा सकते हैं, जो सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा बौद्धिक व शक्तिशाली हों। जब यह बच्चे वयस्क होंगे तो उन्हें उचित प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक विशेषीकृत किया जा सकता है।
- यह तकनीकी वाह्य अंतरिक्ष या अन्य दुर्लभ क्षेत्रों में शोध हेतु यथा आवश्यकता मानव शक्ति का सृजन करने में सहायक होगी।

जीन एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएँ

- इससे भविष्य में 'डिज़ाइनर बेबी' के जन्म की अवधारणा को और बल मिलेगा। यानी बच्चे की आँख, बाल और त्वचा का रंग ठीक वैसा ही होगा, जैसा उसके माता-पिता चाहेंगे।
- इससे समाज में बड़ी जटिलताएँ और विषमताएँ उत्पन्न होंगी। डिज़ाइनर बेबी बनाने का कारोबार शुरू हो सकता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होंगे उन्हें अपने बच्चे के बुद्धि-चातुर्य और व्यक्तित्व को जीन एडिटिंग के जरिये परिवर्तित करने का मौका मिलेगा। स्वाभाविक है कि इससे सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा।
- चूँकि यह तकनीक अत्यंत महँगी है अत: इसका उपयोग केवल धनी वर्ग के लोग कर पाएंगे।
- विरोधियों का यह भी मत है कि यदि किसी व्यक्ति को जीन विश्लेषण से यह पता चल जाता है कि उसके शरीर में कोई आनुवंशिक बीमारी है और वह आर्थिक रूप से उसका इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उस व्यक्ति के रोग निदान के संदर्भ में क्या प्रकिया है।
- कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा इस प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीन में परिवर्तन हज़ारों वर्षों में होता है। यदि हम इसे कुछ ही घंटे में कर देंगे तो इससे जीनों के स्थायित्व पर घातक प्रभाव पड़ सकता है।
- जब समाज यह पाएगा कि उसके बीच निवास कर रहा व्यक्ति विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, तो समाज की प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है।

निष्कर्ष

वास्तव में जीन एडिटिंग तकनीकी हमें एक कृत्रिम दुनिया की और ले जाएगी। अत: इस क्षेत्र में भारत को प्रत्येक कदम पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान के बाद ही उठाना चाहिये। जीन एडिटिंग से संबंधित विषय को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिये ताकि इस विषय पर जनता की राय को भी जाना सके। जहाँ तक आनुवंशिक रोगों व विकृतियों को सुधारने का प्रश्न है, वहाँ तक इस तकनीकी की सहायता ली जा सकती है। परंतु डिज़ाइनर बेबी जैसे प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी: आवश्यकता और महत्त्व

संदर्भ

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असम्मित भू-आकृतिक विशेषताएँ और बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी का अभाव विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2018 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी के संबंध में Google के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया था। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संगठन केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission-CWC) ने गूगल के साथ एक सहयोग समझौता भी किया था, परंतु इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं आ पाई।

इस आलेख में बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी की आवश्यकता और महत्त्व पर चर्चा करने से पूर्व बाढ़, बाढ़ के कारण, भारत में बाढ़ की स्थिति आदि पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बाढ़ से तात्पर्य

- नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आस-पास की ज़मीन तक पहुँच जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने-पहचाने हैं।
- बाढ़ तब आती है जब नदी जल-वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल, बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलों और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है।
- कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव-रोधी योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वेषित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके लिये केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत में बाढ़ की स्थिति

- भारत के विभिन्न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।
- असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हैं।
- राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है।
- कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटते मानसून द्वारा हुई तीव्र वर्षा के कारण आती है।

बाढ़ के संभावित कारण

- सामान्यत: भारी बारिश के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतों/मार्गों (Natural Water Bodies/Routes) की जलधारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आस-पास की सूखी भूमि को डूबा देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं।
    - मौसम संबंधी तत्त्व: दरअसल, तीन से चार माह की अवधि में ही देश में भारी बारिश के परिणामस्वरूप नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है।

- बादल फटना: भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आस-पास बादलों के फटने से भी नदियाँ जल से भर जाती हैं।
- गाद का संचय: हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाती हैं। वर्षों से इनकी सफाई न होने कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है।
- मानव निर्मित अवरोध: तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों की जल-प्रवाह क्षमता में कमी आती है, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का परिणाम माना जाता है।
- वनों की कटाई: पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और वर्षा जल के लिये पेड़ प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है।

बाढ़ प्रबंधन

- संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये, वहीं बाढ़ से निपटने के लिये तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। साथ ही प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- नदी द्वारा किये गए भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिये तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजना, निष्पादन, निगरानी, भू-आकृतिक विज्ञानी अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिये। चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।
- बाढ़ का सामना करने के लिये बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्त्वपूर्ण है तथा इसका देश भर में सघन विस्तार किया जाना चाहिये और वास्तविक समय आँकड़ा संग्रहण प्रणाली (Real Time Data Collection System) का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये। साथ ही इसे पूर्वानुमान मॉडल से जोड़ा जाना चाहिये।

बाढ़ पूर्वानुमान हेतु केंद्रीय जल आयोग के प्रयास

- गूगल द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मानचित्रण में उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल आयोग द्वारा किया जाएगा।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तैयार करने में गूगल अपने हाई रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगा, जबकि केंद्रीय जल आयोग अपनी ओर से जलस्तर, बारिश आदि के नियमित आँकड़े उपलब्ध कराएगा।
- नई तकनीक से प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े संगठन समय रहते बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों तथा आबादी की पहचान कर सकेंगे तथा चेतावनी जारी की जा सकेगी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी 'इन्सेम्बल फ्लड फॉरकास्ट मॉडल' (Ensemble flood forecast) और इनंडेशन मॉडलिंग (Inundation modelling) तकनीकी की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। भारत ने अभी नियतात्मक पूर्वानुमान (अर्थात नदी स्तर में उतार-चढ़ाव) मॉडल को अपनाया है।

भारत में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क

- केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क में 128 जलाशयों के अलावा 197 निचले क्षेत्र/शहरों और कस्बों को कवर करने वाले 325 स्टेशन शामिल हैं। यह नेटवर्क लगभग 20 नदी प्रणालियों तक फैला हुआ है। इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु / झेलम, ब्रह्मपुत्र तथाउसकी सहायक नदियाँ, बराक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी समेत 25 से अधिक राज्य शामिल हैं।
- लगभग 197 निचले इलाकों/कस्बों और 128 जलाशयों के लिये बाढ़ की भविष्यवाणी और अग्रिम चेतावनी उपयोगकर्त्ता एजेंसियों को लोगों की निकासी और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने जैसे कार्यों में मदद करती है।
- वार्षिक रूप से 7000 से अधिक बाढ़ पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनियाँ CWC द्वारा जारी की जाती हैं। पिछले वर्षों में CWC द्वारा जारी किये गए पूर्वानुमानों की समग्र सटीकता 90 प्रतिशत से अधिक है।

चुनौतियाँ

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) मौसम संबंधी या मौसम पूर्वानुमान जारी करता है, जबकि केंद्रीय जल आयोग विभिन्न नदी बिंदुओं पर बाढ़ के पूर्वानुमान जारी करता है। इसलिये बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि IMD द्वारा कितनी जल्दी बारिश का अनुमान लगाया जाता है और कितनी जल्दी CWC बारिश के पूर्वानुमान को बाढ़ के पूर्वानुमान के साथ एकीकृत करता है।
- भारत में कई नदी बिंदुओं पर अधिकांश बाढ़ पूर्वानुमान पुरानी सांख्यिकीय विधियों पर आधारित होते हैं जो 24 घंटे से कम के लीड समय (बाढ़ की घटना के जारी होने और घटने की अवधि) पर कार्य करते हैं। यह इस धारणा के विपरीत है कि भारत का बाढ़ पूर्वानुमान Google की सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से प्रेरित है। ये सांख्यिकीय विधियाँ बेस स्टेशन और पूर्वानुमान स्टेशन के बीच नदी घाटियों की हाइड्रोलॉजिकल प्रतिक्रिया को पकड़ने में विफल रहती हैं।
- पुरानी तकनीकों और कई एजेंसियों तथा उनके खराब जल प्रशासन के बीच तकनीकी समानता की कमी से निर्णायक समय में कमी आती है, जिससे पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियाँ बढ़ जाती हैं।

महत्त्व

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग लंबे समय से बाढ़ आने से पहले यानी समय रहते सटीक चेतावनी दिये जाने की मांग कर रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी।
- गूगल उच्च स्तरीय डिजिटल तकनीक जिसमें वह अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के सहारे CWC द्वारा प्रदत्त जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा।
- इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी। इससे सरकार और आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ प्रभावित स्थानों और जनसंख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी।
- निकटस्थ बाढ़ के संकेतों को ध्यान में रखते हुए Google मानचित्र उपयोगकर्त्ता यह देखने में सक्षम होगा कि पहले किन क्षेत्रों में जलभराव की संभावना है और कौन-कौन से क्षेत्र खतरे में हैं।

निष्कर्ष

प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है, साथ ही इससे सर्वाधिक नकारात्मक रूप से समाज का सबसे गरीब वर्ग प्रभावित होता है। इस आलोक में बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ आने के पश्चात् होने वाली हानि को कम करने के लिये ज़रूरी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। किंतु ये प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक कि मानव निर्मित कारकों जैसे- जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक विकास कार्य आदि को नहीं रोका जाता।

सामाजिक न्याय

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

मानसिक स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता का मुख्य निर्धारक होने के साथ सामाजिक स्थिरता का भी आधार होता है। जिस समाज में मानसिक रोगियों की संख्या अधिक होती है वहाँ की व्यवस्था व विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) के महानिदेशक और नगालैंड राज्य के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने अवसाद से ग्रसित होने के कारण आत्महत्या कर ली। विगत कुछ वर्षों में मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या या अन्य सामाजिक अपराधों की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।

वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान इस समस्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में लैंसेट (Lancet) द्वारा भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 201 7 तक भारत में 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त थे, जो भारत की कुल जनसँख्या का 14.3 प्रतिशत था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी।

इस आलेख में मानसिक स्वास्थ्य, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा तथा सरकार के प्रयासों का विश्लेषण किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य

- स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है।
- यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे- बेरोज़गारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है।
- मानसिक विकार में अवसाद (Depression) दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है।
- कई शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि अवसाद हृदय संबंधी रोगों का मुख्य कारण है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति

- लैंसेट (Lancet) द्वारा प्रकाशित भारत में मानसिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट (Burden of Mental Health in India) के अनुसार, भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years- DALY) के आधार पर वर्ष 1990 में 2.5 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2017 में यह बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई।
- यहाँ 1 DALY का आशय स्वस्थ जीवन में एक वर्ष की कमी से है।
- वर्ष 2018 में भारत में मानसिक विकार DALY के सभी मामलों में 33.8 प्रतिशत लोग अवसाद (Depression), 19 प्रतिशत लोग एंग्जायटी डिसऑर्डर (Anxiety Disorder), 10.8 प्रतिशत लोग इडियोपथिक डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (Idiopathic Developmental Intellectual Disability) तथा 9.8 प्रतिशत लोग सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) से ग्रसित थे।
- इस अध्ययन में राज्यों को सामाजिक-जनांकिकीय सूचकांक (Socio-Demographic Index- SDI) के आधार पर तीन वर्गों- निम्न, मध्यम तथा उच्च में विभाजित किया गया।
- SDI मापन में राज्य की प्रति व्यक्ति आय, औसत शिक्षा, 25 वर्ष से कम आयु वाली महिलाओं में प्रजनन दर को अपनाया गया है।

नोट :

मानसिक विकार के कारण

- मानसिक विकार का एक महत्त्वपूर्ण कारक आनुवंशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस, सिज़ोफ्रेनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।
- मानसिक विकार की एक वजह शारीरिक परिवर्तन को भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ-धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मानसिक विकार की संभावना बढ़ जाती है।
- मनोवैज्ञानिक कारणों को आज के समय में इसकी मुख्य वजह मान जा रहा है। उदाहरण के लिये आपसी संबंधों में टकराहट, किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, आर्थिक हानि, तलाक, परीक्षा या प्रेम में असफलता इत्यादि।
- सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, खतरनाक किस्म के वीडियो गेम, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ और इनका सामना करने की असमर्थता मानसिक विकार के लिये ज़िम्मेदार मानी जा रही हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की अवधारणा

- वस्तुत: जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर मानसिक बीमारी (Mental Illness) हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रही है। इसके विषय में न केवल समाज का रवैया बेरूखा है बल्कि सरकार की दृष्टि में भी यह एक उपेक्षित विषय ही है।
- सबसे चिंताजनक बात यह है कि मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को पागल समझा जाता है और उस व्यक्ति को समाज में उपेक्षा भरी नज़रों से देखा जाने लगता है।
- मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति समाज व परिवार के उपेक्षापूर्ण बर्ताव के कारण अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। अकेलेपन के कारण वह अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या तो स्वयं को हानि पँहुचाता है या अन्य लोगों को।
- यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है तो जीवन भर उसे इसी तमगे के साथ जीना पड़ता है, चाहे वह उस रोग से मुक्ति भले ही पा ले। आज भी भारत में इस प्रकार के लोगों के लिये समाज की मुख्य धारा से जुड़ना काफी चुनौतीपूर्ण होता है।

मानसिक विकार से संबंधित चुनौतियाँ

- आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं की आत्महत्या दर पुरुषों से काफी अधिक है। जिसका मूल घरेलू हिंसा, छोटी उम्र में शादी, युवा मातृत्व और अन्य लोगों पर आर्थिक निर्भरता आदि को माना जाता है। महिलाएँ मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं। परंतु हमारे समाज में यह मुद्दा इतना सामान्य हो गया है कि लोगों द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता।
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियाँ भी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिये भारत में वर्ष 2017 तक आत्महत्या को अपराध माना जाता था और भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिये अधिकतम 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था। जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अवसाद, तनाव और चिंता आत्महत्या के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये भारत के पास आवश्यक क्षमताओं की कमी है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में भारत की विशाल जनसंख्या के लिये मात्र 5,147 मनोचिकित्सक और 2,035 से भी कम मनोवैज्ञानिक मौजूद थे।

बजटीय व्यय की कमी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मेंटल हेल्थ एटलस (Mental Health Atlas), 2017 के अनुसार, भारत में लगभग 25000 मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता कार्य कर रहे हैं। भारत अपने स्वास्थ्य बजट का 1.3 प्रतिशत भाग ही मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय करता है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Mental Health Survey - NMHS) 2015-16 के अनुसार, भारत के अधिकांश राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य का कुल बजट 1 प्रतिशत से भी कम है।
- इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- वर्तमान में केवल गुजरात और केरल दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिये अलग बजट की व्यवस्था की गई है।
- वस्तुत: राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य के लिये पृथक बजट की व्यवस्था करने के संबंध में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सटीक कार्यान्वयन, पर्याप्त मात्रा में बजट की उपलब्धता, समय-सीमा, ज़िम्मेदार एजेंसियों और परिणामों की निगरानी के लिये बेहतर प्रबंधन आदि बहुत से कारक शामिल हैं।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- वर्ष 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिये देश में मानसिक देखभाल के आधारभूत ढाँचे के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Prograam-NMHP) की शुरुआत की गई।
- कार्यक्रम की कार्यनीति में वर्ष 2003 में दो योजनाओं- राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और सरकारी मेडिकल कालेजों/जनरल अस्पतालों में मनोचिकित्सा विंग को शामिल किया गया।
- सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act), 2017 लेकर आई ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत किया जा सके।
- यह अधिनियम 7 अप्रैल, 2017 को पारित किया गया था तथा यह 7 जुलाई, 2018 से लागू हुआ था। अधिनियम ने 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लिया है।
- सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases - NCDs) के फ्लेक्सी पूल (flexi Pool) के अंतर्गत शामिल किया है।
- एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल (flexi Pool) हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन तीन गुना बढ़ाया गया है। यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसलिये इसकी चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिये उपर्युक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा रणनीति: आवश्यकता और महत्त्व

संदर्भ

भारत का विशाल प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90 प्रतिशत (मात्रा में) तथा 70 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है। अत: भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण अवयव है। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का स्थलीय सीमाओं को लेकर तनाव व्याप्त है। यह तनाव कई बार हिंसक झड़पों का रूप भी ले चुका है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह महसूस किया है कि भारत की महाद्वीपीय रणनीति (Continental 'Grand' Strategy) अस्तित्व के संकट से गुज़र रही है। चीन व पाकिस्तान दोनों ही भारत के क्षेत्रों पर लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के बाद से पाकिस्तान ने लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी से शक्ति-शून्यता की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे वह क्षेत्र पुन: आतंकी गतिविधियों के लिये उपजाऊ बन सकता है। चिंता इस बात की है कि पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये कर सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के बाद भारत अपनी सुरक्षा रणनीति का विश्लेषण कर रहा है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी देश के लिये जितनी महत्त्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएँ हैं उतनी ही महत्त्वपूर्ण जलीय सीमाएँ हैं।

समुद्री सुरक्षा आवश्यक क्यों ?

- भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है।
- भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्याँमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है।
- भारत के उत्तर में स्थित पाकिस्तान से सीमापार आतंकवाद की लगातार गतिविधियों, अधिक सैन्य क्षमता प्राप्ति और परंपरागत संघर्ष में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के घोषित उद्देश्य के कारण उतार-चढ़ाव वाले संबंध बने हुए हैं। विदित है कि वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने का नाकाम प्रयास किया था।
- भारत की विभिन्न देशों के साथ लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती है। इन चुनौतियों में समुद्री द्वीपों निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्त्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहाँ से भागने के लिये करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिये करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल हैं।
- समुद्री तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने तथा तटों के समीप महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमापार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक होती है।
- मुंबई हमले के बाद से तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं।

हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति

- पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिये अलगाव की स्थिति थी। लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिये भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है।
- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर ज़ोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को मूर्तरूप देने के लिये सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके।
- इस तरह भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकॉनमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। ब्लू इकॉनमी पर बल देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए ही नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों को आमंत्रित किया, इतना ही नहीं भारतीय प्रधानमंत्री नें अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये मालदीव और श्रीलंका चुना।

नोट :

- कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किये गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं तथा इस क्षेत्र के महत्त्व को भी इंगित करते हैं।

भारत के समक्ष समुद्री चुनौतियाँ

- समुद्री डकैती- अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सदैव खतरा बना रहता है। कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन (One Earth Foundation) की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री डकैती की वजह से दुनियाभर के देशों को प्रतिवर्ष 7 से 12 अरब डॉलर का व्यय करना पड़ता है। इसमें उन्हें दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिये कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों के बजट इस अतिरिक्त व्यय में शामिल हैं।
- आतंकवाद- समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का मुंबई हमला, भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े प्रश्न-चिन्ह पहले ही खड़े कर चुका है।
- संगठित अपराध- समुद्री रास्तों से हथियारों, नशीले पदार्थों और मानवों तस्करी, संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भी मादक द्रव्यों की तस्करी अनवरत रूप से जारी रही। लॉकडाउन के कारण स्थलीय सीमाओं पर होने वाला आवागमन प्रतिबंधित था परंतु मादक द्रव्यों व मानव तस्करी समुद्री मार्गों के द्वारा की गई थी।
- स्वतंत्र नौवहन में बाधा- चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किये जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिये स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन द्वारा भारत के चारों ओर बंदरगाहों का इस प्रकार विकास उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (String of Pearls) नीति को दर्शाता है।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल

- 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धांत है, जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है।
- वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा (Overseas Military Facility) शुरू की और वह अपने महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative-BRI) के हिस्से के रूप में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्याँमार और अफ्रीका के पूर्वी तट, तंज़ानिया तथा केन्या में बुनियादी ढाँचे में भी भारी निवेश कर रहा है।
- इस प्रकार की गतिविधियाँ चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश को दर्शाती हैं, जिसे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' कहा जाता है।

समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख अवयव

- अवरोध की रणनीति- यह भारतीय सुरक्षा की मूलभूत रणनीति है। संभावित संघर्षों को टालना (अवरोध करना) भारतीय सुरक्षा बलों का प्रमुख उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत भूल-वश भारत की जलीय सीमा में प्रवेश करने वाले जलयानों या नौकाओं को सुरक्षा जाँच के बाद वापस कर दिया जाता है।
- संघर्ष की रणनीति- भारत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के संसाधनों में वृद्धि इसका उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत युद्ध के दौरान नौसैन्य बलों को पर्याप्त मात्र में रसद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- अनुकूल समुद्री माहौल के लिये रणनीति- इस रणनीति के अंतर्गत शांतिकाल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ शामिल हैं। इसका लक्ष्य मित्र देशों के समुद्री सुरक्षा बलों के मध्य आपसी सहयोग और अंतर्संचालन द्वारा सुरक्षापूर्ण तथा स्थायित्व युक्त माहौल तैयार करना है।
- तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा की रणनीति- इसके अंतर्गत तटीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा बलों की संचालनीय क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है।
- निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय- सतर्कता के लिये भारत को बेहतर निगरानी की आवश्यकता है। तटीय राडार श्रृंखलाओं की स्थापना में तेजी लाने और सूचना तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के अलावा केंद्र सरकार को कई एजेंसियों (ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकारों के साथ) और प्राधिकरणों में देरी से होने वाली बातचीत से उत्पन्न समन्वय के अभाव की समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

नोट :

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हेतु सुझाव

- भारत के विशेष सहभागियों में बहुत से जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इंडोनेशिया वास्तव में हिंद-प्रशांत को एशिया-प्रशांत प्लस भारत के रूप में देखते हैं। वे भारत को एशिया-प्रशांत की रणनीतिक गतिकी में जोड़ने की कोशिश करते हैं।
- वे दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति मुख्य रूप से चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिये चाहते हैं। इस कड़ी में 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात क्वाड को पुनर्जीवित करना एक सराहनीय पहल है।
- भारत के लिये हिंद-प्रशांत एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी क्षेत्र है। इसमें यह भौगोलिक क्षेत्र के सारे देशों को शामिल करता है तथा साथ ही उन अन्य को भी जिनका इससे कोई हित जुड़ा है। इसके भौगोलिक विस्तार में भारत इस क्षेत्र में अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका के तटों को समाहित करता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत एक नियम आधारित, मुक्त, संतुलित और स्थिर व्यापार पर्यावरण का समर्थन करता है जो कि व्यापार और निवेश में विश्व के समस्त देशों का उत्थान करे। भारत रीज़नल कॉम्प्रेहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) से जो चाहता है, यह उसके समान है।
- विश्व के लगभग सभी देश समुद्र में स्वतंत्र नौ-परिवहन को लेकर एक मत हैं लेकिन विभिन्न देशों में नौ-परिवहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसका कारण कई देशों के कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (International Maritime Law-IML) से भिन्न होना है। इस विषय पर भारत अन्य देशों के मध्य मतभेदों को समाप्त करने और एक निश्चित परिभाषा पर सहमत होने के लिये नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।
- चीन एशिया-प्रशांत देशों के लिये एक खतरा बन चुका है और साथ-ही-साथ हिन्द महासागर में भारतीय हितों के लिये खतरा बन रहा है। भारत क्षेत्र में किसी खिलाड़ी की प्रधानता नहीं चाहता। यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्षेत्र में चीन अपना प्रभुत्व स्थापित न कर सके, भारत त्रिकोणीय जैसे भारत-ऑस्ट्रेलिया-फ्रांस, भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया, व्यवस्था की स्थापना करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

आगे की राह

- क्षेत्र में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सम्मान, परामर्श, अच्छा प्रशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता और संवहनीयता के आधार पर संपर्क स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- हिंद-प्रशांत सुरक्षा के लिये मैरीटाइम डोमैन अवेयरनेस (MDA) आवश्यक है।
- भारत को समुद्री सुरक्षा के अपने विज़न अर्थात सागर- 'सिक्युरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीज़न' पर तेज़ी से कार्य करना होगा।

साइबर हमले का बढ़ता खतरा

संदर्भ

भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के दिशा-निर्देशन में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य चीन की सरकार से संबंधित उन चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के संबंध में जानकारी एकत्र करना है जिन पर भारतीय नागरिकों और संगठनों की निगरानी करने का आरोप लगा है। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो इस तरह के साइबर हमले के खतरे से चिंतित है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग (Department of Defence-DoD) ने लोगों और संगठनों की निज़ी एवं गुप्त सूचनाओं को चोरी करने वाले मालवेयर (वायरस) स्लॉथफुलमीडिया (SlothfulMedia) की पहचान उजागर की, जिसमें यह बताया गया कि इस मालवेयर का प्रयोग भारत, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, रूस और यूक्रेन में नागरिकों और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाकर साइबर हमले प्रारंभ करने के लिये किया जा रहा था।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने अभी तक इस मालवेयर के स्रोत की जानकारी नहीं दी है, परंतु पूर्व में चीन, रूस, उत्तरी अमेरिका एवं ईरान द्वारा इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम दिया गया था। इसका एक ताज़ा उदाहरण वर्ष 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है।

साइबर हमले से तात्पर्य ?

- 'साइबर हमला' वाक्यांश का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट के माध्यम से किये जाने वाले हमलों को संबोधित करने के लिये किया जाता है। इनमें कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जान-बूझकर बड़े पैमाने पर किया गया व्यवधान शामिल है, विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े किसी निजी कंप्यूटर में।
- साइबर हमले साइबर जगत में विरोधियों के बीच होने वाली एक रणनीतिक प्रतियोगिता है। इसके माध्यम से विभिन्न देश व्यापक स्तर पर अपने देश के नागरिकों या अन्य देशों के नागरिकों या रक्षा प्रतिष्ठानों की गोपनीय सूचनाएँ एकत्र करने में सक्षम हो जाते हैं।
- साइबर हमले को किसी कंप्यूटर अपराध के रूप में और अधिक सामान्य तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है... "वास्तविक दुनिया के बुनियादी ढाँचे, संपत्ति तथा किसी के जीवन को हानि पहुँचाए बिना किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुँचाना।"

साइबर हमले की व्यापकता

- साइबर हमले का क्षेत्र अति व्यापक है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक/बौद्धिक तथा सैन्य क्षेत्रों को काफी हानि पहुँचा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 85 प्रतिशत साइबर हमले आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रतिष्ठानों जैसे- छोटे बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में हुए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक एडवाइज़री जारी करते हुए बताया कि उत्तर कोरिया का एक हैकिंग ग्रुप बीगल बॉयज़ (BeagleBoyz) भारत समेत विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली को हैक करने का प्रयास कर रहा है।

हैकिंग

- हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हैकिंग करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी को बिना उसकी इजाज़त के चोरी करता है। ऐसा करने के लिये वह उस व्यक्ति की निजी जानकारियों में सेंध लगाकर उन्हें हैक करता है। हैकिंग को गैर-कानूनीमाना गया है, लेकिन कई बार हैकिंग अच्छे काम के लिये भी की जाती है। इसके माध्यम से साइबर अपराधियों द्वारा कई प्रकार के अपराध किये जाते हैं।
- अमेरिकी न्याय प्रशासन ने पाँच चीनी सैन्य अधिकारियों पर अभियोग चलाया जिन पर यूएस स्टील (US Steel), जे.पी. मॉर्गन (JP Morgan), वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल (Westinghouse Electrical), सोलर वर्ल्ड (SolarWorld) और यूनाइटेड स्टीलवर्कर्स (United Steelworkers) जैसी कंपनियों के डेटा चोरी का आरोप था।
- सैन्य क्षेत्र में साइबर हमले साइबर वॉरफेयर के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं। कुछ समय पूर्व ही रूस की इंटेलीजेंस एजेंसी से संबंधित सैंडवर्म टीम (Sandworm Team) ने संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और नाटो से संबंधित सैन्य प्रतिष्ठानों पर साइबर हमले किये थे।

साइबर सुरक्षा ढाँचे के अद्यतनीकरण की आवश्यकता क्यों ?

- राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग
  - साइबर कमांड को बढ़ाने की आवश्यकता के पक्ष में सैन्य सिद्धांतों में हो रहा परिवर्तन साइबर सुरक्षा रणनीति में बदलाव के महत्त्व को प्रतिबिंबित करता है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में एक सक्षम साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता पर पहली बार कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee), 1999 द्वारा जोर दिया गया था।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्त्व
  - वर्तमान में भारत की कुल अर्थव्यवस्था के आकार का 14-15 प्रतिशत भाग डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल है और वर्ष 2024 तक इसे 20 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- एक जटिल डोमेन
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), मशीन लर्निंग (Machine Learning-ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoTs) की अधिक समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस एक जटिल डोमेन बन गया है, जो तकनीकी व कानूनी प्रकृति की समस्याओं को जन्म देगा।

- डेटा संरक्षण की चुनौती
  - 21वीं सदी में डेटा, मुद्रा के समान महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ (जैसे-गूगल, अमेज़न) यहाँ अपनी पहुँच बनाने की कोशिश कर रही हैं।
  - इसलिये डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty), डेटा स्थानीयकरण (Data Localisation) और इंटरनेट गवर्नेंस (Internet Governance) आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

- मानव संसाधन की कमी
  - इस क्षेत्र के लिये आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिये भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है।
  - इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (BlockChain Technology-BCT), मशीन लर्निंग (Machine Learning-ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoTs) जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है।
  - कई विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में कम-से-कम तीन मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है।
- साइबर सक्रिय डिफेंस का अभाव
  - भारत में यूरोपीय संघ की तरह, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation-GDPR) या अमेरिका के 'क्लेरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डेटा (Clarifying Lawful Overseas Use of Data-CLOUD) अधिनियम की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है।
- विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है। जबकि भारत में कई केंद्रीय संगठन हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं, इसलिये प्रत्येक संगठन में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अलग-अलग होती है, यही कारण है कि इन संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव है।
- फेक न्यूज़
  - सोशल मीडिया 'सूचना' के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक समाचार तेज़ी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करते रहते हैं।

साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में सरकार के प्रयास

- भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर हमलों के प्रभाव से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अति-संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया गया।
- इसके अंतर्गत 2 वर्ष की उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
- साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिये भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को नोडल एजेंसी बनाया गया।

नोट :

- देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिये 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।

आगे की राह

- वित्तीय संगठनों और सरकारी प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाले डिजिटल वारफेयर और हैकर्स के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिये भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे और इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेले डिजिटल वारफेयर के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है।
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre-NCCC), नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (National Critical Information Infrastructure Protection Centre-NCIIPC) और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Computer Emergency Response Team-CERT) जैसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं को कई गुना मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- मोबाइल फोन और दूरसंचार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को वर्ष 2030 तक एक व्यापक समग्र नीति के निर्माण हेतु प्रभावी रूप से सहयोग करना होगा।

नोट :